

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-4/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) पर देय मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

—••—


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-4/2015/नियम/चार, दिनांक 30-7-2016 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को जिनकी अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर है को उक्त वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन का 174% मंहगाई राहत दिनांक 01-07-2016 से दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे ।

2/ राज्य शासन के पेंशनर्स को तदुपरान्त स्वीकृत मंहगाई राहत के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण आदि के कारण अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्त कर रहे है उन्हें निम्नानुसार दरों पर मंहगाई राहत स्वीकृत की जाए :-

अवधि	50% मंहगाई राहत को मंहगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित करने के फलस्वरूप प्राप्त पेंशन के योग पर
दिनांक 1-1-2017 से (माह जनवरी, 2017 की अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2017 में देय है)	179%

3/ मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ओर 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सुखवीर सिंह)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी ) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग